		(व) पद्धति जिसके तहत् धारा 68 की उप धारा (2) के अधीन द्वीप परिषद का कोई सदस्य चीफ कैप्टेन अथवा उप चीफ कैप्टेन को संकल्प और प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है;	
		(वक) नियंत्रण तथा पाबन्दी जिसके अनुसार द्वीप परिषद धारा 69 की उप धारा (1) के अधीन समिति नियुक्त कर सकती है; (वख) कारण जिसके कारण धारा 69 की उप धारा (2) के तहत समितियाँ विघटित की जा सकती है और पद्धति जिसके तहत् समितियों का पुनर्गठन किया जा सकता है; (वग) अभिरक्षा जिसमें धारा 74 की उप धारा (3) के अधीन द्वीप परिषद निधि को रखा जा सकता है; (वघ) प्रक्रिया तथा सीमाएँ जिसके अनुसार धारा 75 की उप धारा (1) के अधीन कर, चुँगी, उपकर और शुल्क की उगाई की जा सकेंगी । (वङ.) धारा 75 की उप धारा (2) के अंतर्गत लागू किए जाने हेतु पथकर का मापमान, शुल्क अथवा दरें और शर्तें (वच) फार्म जिसमें धारा 79 की उप धारा (1) के अधीन मांग नोटिस भेजी जा सकती है; (वछ) पद्धति जिसके तहत धारा 79 की उप धारा (2) के अधीन मांग की नोटिस जारी की जा सकती है; (वज) धारा 79 की उप धारा (3) के अंतर्गत टक्स कर अथवा शुल्क अथवा अन्य किसी राशि की वसूली की पद्धति (वझ) पद्धति जिसके तहत् धारा 80 के अधीन प्राप्ति एवं खर्च का लेखा अनुरक्षित किया जा सकता है; (वञ) समय तथा पद्धति जिसके तहत् धारा 81 की उप धारा (1) के अधीन द्वीप परिषद बजट तैयार कर सकता है; (वट) धारा 81 की उप धारा (5) के अंतर्गत अनुपूरक, आकलंग की अवधि और पद्धति (वठ) पद्धति जिसमें धारा 82 की उप धारा (1) के अधीन द्वीप परिषद के लेखा की लेखा परीक्षा की जा सकती है; (वढ़) धारा 82 की उप धारा (3) का खंड (क) ओ (ख) अधिभारित राशि की वसूली की पद्धति (वड़) धारा 91 के तहत जिला योजना समिति का गठन (वण) धारा 93 के अंतर्गत जिला योजना समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;	